<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-270/2018/4177/71-1-2018-जी-76/2017</u>

प्रेषक

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण
उ0प्र0 लखनऊ।

2. प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, आगरा, झाँसी,
गोरखपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर,
जालौन, कन्नौज, सहारनपुर, बाँदा तथा बदायूँ।

3. निदेशक,
जे0 के0 कैंसर संस्थान,
कानपुर।

4. निदेशक,
हृदय रोग संस्थान,
कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2018

विषयः- उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों की क्रियाशीलता सुदृढ़ किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों द्वारा प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों द्वारा चिकित्सकीय कार्य के साथ-साथ शैक्षणिक कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है। प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके, उसके लिए उक्त संस्थानों में निरन्तर मरीजों के हित और उनको प्राप्त होने वाले उपचार के लिए समय-समय पर विभिन्न मीडिया एवं जनप्रतिनिधियों तथा अन्य स्रोतों से यह सूचनायें शासन के संज्ञान में आई है कि राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में उपचार हेतु आने वाले मरीजों को चिकित्सालय में उपलब्ध जाँच सुविधायें समुचित ढंग से मुहैया नहीं कराई जा रही है, अपितु चिकित्सकों द्वारा बाहर से जाँच कराए जाने हेतु मरीजों को परामर्श दिया जा रहा है।

2- उल्लेखनीय है कि राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में मरीजों की जाँच/निदान हेतु समस्त उपकरण स्थापित किये गये है तथा उनकी अनवरत् क्रियाशीलता सुनिश्चित किए जाने हेतु उपकरणों के ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 की व्यवस्था की गई है तथा इस हेतु अनुरक्षण मद में पर्याप्त धनराशि भी प्रतिवर्ष स्वीकृत की जाती है। इसके बावजूद भी प्रायः यह देखा जाता है कि चिकित्सा उपकरण खराब रहते है तथा इस स्थिति में मरीजों को जाँच इत्यादि बाहर से कराने हेतु बाध्य होना पड़ता है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों एवं उनसे सम्ब चिकित्सालयों में स्थापित उपकरणों की क्रियाशीलता को बनाये रखने एवं मरीजों को समुचित जाँच एवं उपचार सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे-:-

1) चिकित्सालय में स्थापित उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 समयान्तर्गत सुनिश्चित की जाय।
2) राजकीय मेडिकल कालेजों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों द्वारा मरीजों को बाहर से जाँच कराए जाने हेतु परामर्श नहीं दिया जाय। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में बाहर से जाँच कराए जाने का परामर्श दिया जाता है तो इसका कारण सहित विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3) समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा विभाग में स्थापित उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने हेतु नियमित निरीक्षण किया जाय तथा इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट कि कुल मरीजों में से कितने परीक्षण स्वयं के चिकित्सालय/संस्थान में कराये गये एवं कितने बाहर से कराये गये, का विवरण संबंधित प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराई जाय।

4) संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में स्थापित उपकरणों की क्रियाशीलता के संबंध में मासिक रिपोर्ट महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को उपलब्ध कराई जाय।

5) राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में स्थापित उपकरणों के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक मानव संसाधन एवं कन्ज्यूमेबिल्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

4- उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या:-270/2018/4177(1)/71-1-2018- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
2- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।